कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हकीम सैयद ज़ियाउल हसन,शासकीय(स्वशासी)यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय

(कोलार–नेहरू नगर बायपास रोड, मेनिट के पीछे,भोपाल 462003)

Web: www.gumcbhopal E.mail: unani.clgbpl.mp@mp.gov.in दूरभाष क्रं. –0755–2970354

पेंशनर्स एवं चिकित्सा गारन्टी योजनान्तर्गत यूनानी औषधि प्रदाय हेतु दिशा निर्देश

1. हकीम सै.ज़ियाउल हसन शासकीय यूनानी महाविद्यालय/चिकित्सालय, भोपाल हेतु राज्य शासन के पेंशनर एवं चिकित्सा गारन्टी उपचार योजना अन्तर्गत निःशुल्क उपचार हेतु यूनानी औषधि के क्रय एम.पी.टेण्डर के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती है। जो कि https://mptenders.gov.in पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध है। निविदा प्रस्तुत करने के नियम निर्देश एवं शर्ते महाविद्यालय की वेबसाइट www.gumcbhopal.in पर भी प्रदर्शित हैं।
   निविदाऐं प्राप्त एवं प्रस्तुत करने की तिथियां निम्नानुसार है :– 22/07/2026
   निविदा प्रपत्र ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथिः– ~~22.06.2026~~ सायं 05.00 बजे
   निविदा ऑनलाईन खोले जाने की तिथिः– ~~24.06.2026~~ दोपहर 02.00 बजे
   24/07/2026
2. ई–निविदा बिड दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं हैं।
3. इच्छुक ई–निविदाकर्ता ऑनलाइन mptenders.gov.in से ई–निविदा राशि रू. 1000/– का भुगतान कर सकते हैं, जिसको mptenders.gov.in पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक ऑनलाईन सबमिट की जाना है।
4. ई.एम.डी.राशि रूपये 1000.00 शब्दों में (एक हजार मात्र) जिसे ई–पेमेन्ट के माध्यम से mptenders.gov.in पर tender सबमिट करते समय पेमेन्ट करना होगा। ई.एम.डी. राशि सफल निविदाकार को अनुबंध होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी, शेष निविदाकारों की ई.एम.डी.राशि mptenders.gov.in के माध्यम से लौटा दी जावेगी। सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि (अनुबंध राशि के 3 प्रतिशत राशि रूपये 3000.00 तक) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से महाविद्यालय में जमा करना होगी। निष्पादन प्रतिपूर्ति राशि बिना ब्याज के अनुबंध समाप्त होने पर वापस लौटा दी जावेगी।
5. अनुबंधित फर्म को उचित गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य है। इस हेतु कोई भाड़ा/हम्माली पृथक से देय नहीं होगी।
6. वित्तीय निविदा प्रपत्र–02 अनुसार दरें https://mptenders.gov.in पर ई–निविदा की एक्सल शीट BOQ में ही अंकित करना है।
7. वित्तीय निविदा प्रपत्र–ब अनुसार न्यूनतम दर (एल–1) ऑफर करने वाले निविदाकार को क्रय आदेश निर्धारित शर्तो के अधीन सौंपा जावेगा।
8. किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर तथा नियम शर्तों का पालन न करने पर अथवा सन्तोषजनक सेवा न पाये जाने पर अनुबंध तत्काल निरस्त कर दिये जावेगें एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। ऐसी स्थिति में जमा निष्पादन प्रतिभूति की

10/6/26. 18/6/26

राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संबंधित फर्म पर ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही की जावेगी, एवं सामग्री की आपूर्ति हेतु एल–02 फर्म से अनुबंध किया जायेगा।

9. सफल निविदाकार से किया गया अनुबंध आगामी वर्ष तक की अवधि तक के लिये मान्य होगा।
10. ई–निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को एक अनुबंध राशि रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।
11. औषधियों की आपूर्ति हेतु ड्रग लायसेंस की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. सफल ई–निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में विगत वित्तीय वर्ष के आंकलन के आधार पर 03 प्रतिशत तक की राशि जमा करनी होगी।
13. निविदाकर्ता फर्म भोपाल नगर निगम सीमा में स्थापित होना चाहिये जिसका गुमास्ता तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
14. निविदाकर्ता के पास स्वयं अथवा फर्म का पैन नंबर होना चाहिये जिसकी प्रतिलिपि तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
15. निविदाकर्ता के पास जी.एस.टी. नम्बर होना आवश्यक है जिसकी प्रतिलिपि तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
16. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2023–24 / 2024–25 / 2025–26 का टर्न ओवर न्यूनतम 05 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2023–24 / 2024–25 / 2025–26 की आयकर विवरणी की प्रति, बैलेंस शीट, लाभ–हानि पत्रक / चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 / 2024–25 / 2025–26 की आयकर विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
17. निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार / व्यक्ति को नहीं सौंपेगा यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म / व्यक्ति को कार्य सौंपा जाता है, या कार्य कराता पाया जाता है तो उसका अनुबंध समाप्त कर फर्म को Black listed किया जायेगा।
18. आवेदनकर्ता फर्म प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। यदि जानकारी प्राप्त होती है, तो निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात कर संबंधित फर्म की निविदा / अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा। ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा / शपथ पत्र राशि रू. 100.00 पांच सौ मात्र के नॉन ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19. ई–निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि (अधिकृत पत्र प्रस्तुत करने पर) शामिल हो सकते हैं।
20. ई–निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा, जो सभी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

10/6/26 10/6/26

राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संबंधित फर्म पर ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही की जावेगी, एवं सामग्री की आपूर्ति हेतु एल–02 फर्म से अनुबंध किया जायेगा।

9. सफल निविदाकार से किया गया अनुबंध आगामी 05 वर्ष तक की अवधि तक के लिये मान्य होगा।
10. ई–निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को एक अनुबंध राशि रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।
11. औषधियों की आपूर्ति हेतु ड्रग लायसेंस की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. सफल ई–निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में विगत वित्तीय वर्ष के आंकलन के आधार पर 03 प्रतिशत तक की राशि जमा करनी होगी।
13. निविदाकर्ता फर्म भोपाल नगर निगम सीमा में स्थापित होना चाहिये जिसका गुमास्ता तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
14. निविदाकर्ता के पास स्वयं अथवा फर्म का पैन नंबर होना चाहिये जिसकी प्रतिलिपि तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
15. निविदाकर्ता के पास जी.एस.टी. नम्बर होना आवश्यक है जिसकी प्रतिलिपि तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
16. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2023–24 / 2024–25 / 2025–26 का टर्न ओवर न्यूनतम 05 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2023–24 / 2024–25 / 2025–26 की आयकर विवरणी की प्रति, बैलेंस शीट, लाभ–हानि पत्रक / चार्टेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 / 2024–25 / 2025–26 की आयकर विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
17. निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार / व्यक्ति को नहीं सौंपेगा यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म / व्यक्ति को कार्य सौंपा जाता है, या कार्य कराता पाया जाता है तो उसका अनुबंध समाप्त कर फर्म को Black listed किया जायेगा।
18. आवेदनकर्ता फर्म प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। यदि जानकारी प्राप्त होती है, तो निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात कर संबंधित फर्म की निविदा / अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा। ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा / शपथ पत्र राशि रू. 100.00 पांच सौ मात्र के नॉन ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19. ई–निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि (अधिकृत पत्र प्रस्तुत करने पर) शामिल हो सकते हैं।
20. ई–निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा, जो सभी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

10/6/26

10/6/26

. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, इसका पालन करना होगा।

22. ई–तकनीकी निविदा में जो दस्तावेज अपलोड किये हैं, उन दस्तावेजो की सत्यापित प्रति का 01 सेट ई–तकनीकी निविदा खोलते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

23. अन्य कोई शर्त आवश्यकता पड़ने पर मान्य करना होगी।

24. ई–तकनीकी निविदा का विश्लेषण करते समय केवल वांछित दस्तावेजों (चैक लिस्ट के अनुसार) को ही विचार क्षेत्र में लिया जावेगा।

25. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
हकीम सैयद ज़ियाउल हसन
शासकीय(स्वशासी) यूनानी चिकित्सा
महाविद्यालय, भोपाल।

10/6/25

10/6/25

हकीम सैयद ज़ियाउल हसन शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में सत्र 2026–27 से 05 वर्ष तक औषधियों की आपूर्ति हेतु निविदा

पेंशनर एवं चिकित्सा गारंटी योजना अंतर्गत औषधियों के स्थानीय क्रय हेतु निविदा का प्रारूप

(तकनीकी निविदा का प्रपत्र–01)

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम ....

2. फर्म के मालिक का नाम .... पिता का नाम ....

3. वर्तमान निवास का पता ....

4. दूरभाष / मोबाईल नंबर ....

5. GSTIN NO- ....

(पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है)

6. जीवित गुमास्ता नंबर .... दिनांक ....

7. पैन कार्ड नंबर ....

8. ई.एम.डी.राशि अंको में .... शब्दो में ....

(एम.डी.राशि का डी.डी. तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ संलग्न करना होगा)

9. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2023–24 / 2024–25 / 2025–26 का टर्न ओवर न्यूनतम 05 लाख होना आवश्यक है,
जिसके साक्ष्य के रुप में वित्तीय वर्ष 2023–24 / 2024–25 / 2025–26 की आयकर विवरणी की प्रति ,बैलेसशीट लाभ–हानि पत्रक (चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 / 2024–25 / 2025–26 की आयकर विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ संलग्न करना आवश्यक है । **संलग्न हां / नहीं**

10. निविदिाकर्ता फर्म का जीवित पंजीयन एवं गुमास्ता संबधित कार्य का होना आवश्यक है। जिसे तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ संलग्न करना होगा । **संलग्न हां / नही**

11. प्रपत्र–03 अनुसार शपथ पत्र तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ संलग्न करना होगा। **संलग्न हां / नहीं**

12. निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही होना चाहिए इस हेतु शपथ पत्र राशि रूपये 100.00 के नॉन जुडिशियन स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। संलग्न हां / नहीं

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
निविदाकर्ता का नाम ....

/ / चैक–लिस्ट / /

उपरोक्त वर्णित नियम शर्तो अनुसार निम्न दस्तावेजो को तकनीकी निविदा प्रपत्र 01 अनुसार सबमिट करते समय आवश्यक रुप से संलग्न किया जाना है :–

क	दस्तावेज का नाम	संलग्न हॉ / नहीं
01	जीवित गुमास्ता संबधित कार्य का होना आवश्यक है जिसकी छाया प्रति	
02	पैन कार्ड की छाया प्रति	
03	जी.एस.टी.पंजीयन पत्र की प्रति (जी.एस.टी.जमा सम्बंधी विगत 02 वित्तीय वर्षो का ऑनलाईन पत्रक तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है)	
04	निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2023–24 / 2024–25 / 2025–26 का टर्न ओवर न्यूनतम 05 लाख होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रुप में वित्तीय वर्ष 2023–24 / 2024–25 / 2025–26 की आयकर विवरणी की प्रति ,बैलेस शीट,लाभ–हानि पत्रक(चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 / 2024–25 / 2025–26 की आयकर विवरणी	
05	औषधियों के विक्रय हेतु ड्रग लायसेस की प्रति	
06	ई.एम.डी.राशि का बैंक ड्राफ्ट (प्रधानाचार्य हकीम सैयद ज़ियाउल हसन शासकीय / स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के नाम से)	
07	निविदाकार फर्म किसी शासकीय / अशासकीय / अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होना चाहिऐ इस हेतु शपथ पत्र की प्रति	
08	प्रपत्र–03 अनुसार शपथ पत्र की प्रति	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता का नाम ....

मोबाइल नं0 ....

नोट :–चैक लिस्ट के सरल क्र–01 से 07 तक के अभिलेखों के आधार पर ही तकनीकी निविदा का विश्लेषण किया जावेगा इन्ही अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा मान्य / अमान्य की जायेगी इनके अतिरिक्त किन्ही अन्य अभिलेखों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा ।

10/6/26 10/6/26

//शपथ –पत्र //

मैं ....पिता श्री...................... ....निवासी ....उम्र .... वर्ष शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि उपरोक्त पेंशनर एवं चिकित्सा गारंटी योजना अंतर्गत औषधियों के स्थानीय क्रय हेतु निविदा में दी गई समस्त शर्तो का पूर्ण होश–हवास में अध्ययन कर लिया है जिसकी समस्त शर्ते मुझे मान्य है। एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज वैधानिक है। निविदा की शर्तो का पालन नही करने एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में यदि मेरी निविदा/अनुबंध निरस्त की जाती है,तो तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता का नाम ....

मोबाइल नं0 ....

नोट :– उक्त शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

10/6/26 10/6/26

हकीम सैयद ज़ियाउल हसन,शासकीय(स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल

पेंशनर एवं चिकित्सा गारंटी योजना अंतर्गत औषधियों के स्थानीय कय हेतु निविदा का प्रारूप

(वित्तीय निविदा का प्रपत्र–02)

	प्रतिशत	
	अंको में	शब्दों में
खुदरा मूल्य पर अधिकतम छूट		

हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता का नाम ....

फर्म का नाम ....

पता ....

....

मोबाइल नंबर ....

m. gaur
14/6/26
10/6/26.